साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता शृंखला - 10

हमारे जंगल – हमारी धरोहर

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)

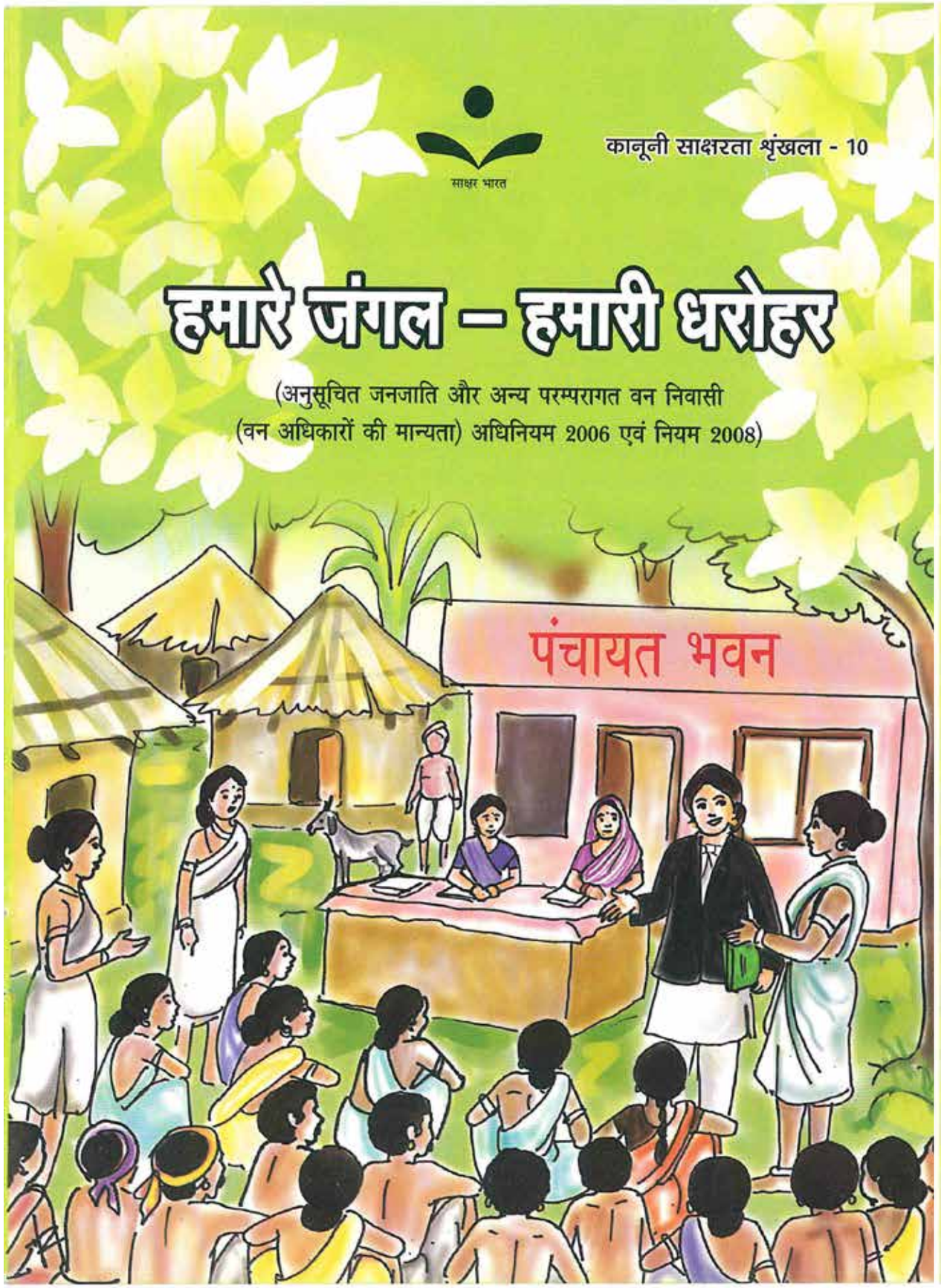

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

हमारे जंगल - हमारी धरोहर

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)

साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

हमारे जंगल - हमारी धरोहर

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)

भीलखेड़ी गांव में आज सुबह से लोगों का आना-जाना बना हुआ है। जिसे देखो, वही पंचायत की ओर जा रहा है। सुना है, शहर से महिला वकील शबनम बानो आने वाली हैं। भीलखेड़ी की महिला सरपंच झुमकी देवी लोगों को बता रही हैं कि वकील

मैडम आज वन अधिकार कानून के बारे में बातचीत करेंगी। यह कानून वनों में रहने वाले आदिवासियों को सही हक दिलाने के लिए बनाया गया है। अन्य परम्परागत वन निवासियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

सरपंच झुमकी देवी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थीं, इतने में शबनम बानो पंचायत पहुंच गईं। सभी ने उनका आदर - सम्मान किया। शबनम बानो ने बातचीत शुरू की। वे बोलीं- "आप अनुसूचित जनजाति के लोग व अन्य वनवासी सदियों से वनों में रहते आए हैं। आपने हमेशा ही वनों को सहेजा है। उनकी रक्षा की है। वनों को बचाए रखने में आपका बड़ा हाथ है। आपके निवास को सही मान्यता नहीं मिलने से आपके साथ घोर अन्याय हुआ है।"

"आप में वे जनजातियां भी शामिल हैं, जिन्हें विकास के नाम पर मजबूरन अपने निवास दूसरी जगह बनाने पड़े थे। भूमि संबंधी असुरक्षा लम्बे समय से चली आ रही है। इसे खत्म करने के लिए ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 बनाए गए हैं।" वन में रहने वाले सभी लोग ध्यान से शबनम

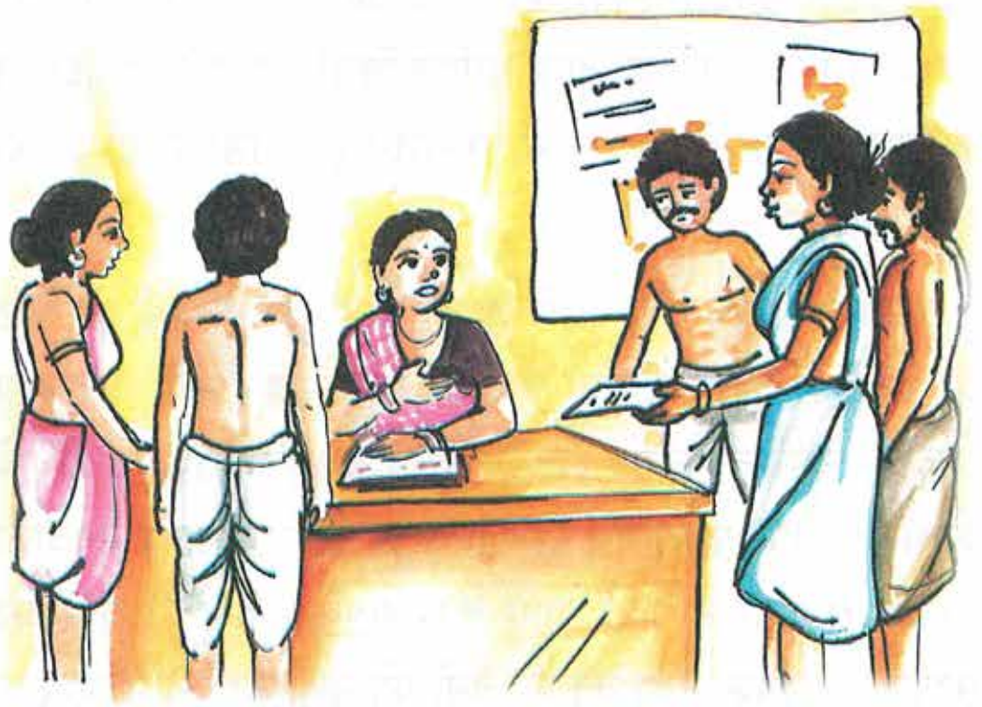

बानो की बातें सुन रहे थे।

मंगलू बोला - वकील साहब, इस कानून से हमें क्या लाभ होगा ?

शबनम ने बताया - आपने ये अच्छा सवाल पूछा है। इस वन अधिकार अधिनियम में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को कानूनी अधिकार मिले हैं -

★ दिसम्बर 2005 के पहले से रहने वाले सभी आदिवासियों को वन भूमि का अधिकार-पत्र मिलेगा।

★ तीन पीढ़ियों (75 साल) से वनों में रह रहे अन्य जाति के परम्परागत वनवासियों को भी अधिकार-पत्र मिलेगा।

★ गांव, बसाहट व सामुदायिक वन भूमि का भी मालिकाना हक मिलेगा।

दयाराम ने पूछा - क्या निस्तार की जमीन भी इसमें शामिल की गई है?

शबनम ने कहा - हां, निस्तार के सभी अधिकार राज्य के नियमानुसार वनवासियों को मिलेंगे।

★ परम्परागत जलाशय, तालाब, मछली तथा जलाशयों में पैदा

होने वाली सभी चीजों पर आदिवासियों का अधिकार होगा।

★ आदिवासियों को वनों की लघु उपज (जैसे- तेंदु पत्ता, बांस, झाड़-झंखाड़, पेड़ का ठूंठ, बेंत, ककून, शहद, मोम, लाख, जड़ी-बूटियां, औषधीय पौधे, कंद-मूल, पत्थर, गिट्टी, मुरम जमा करने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार होगा।

★ सिर पर रखकर, साइकिल से, हाथ गाड़ी से लघु वनोपज को जंगल से गांव व बाजार तक ले जाने का अधिकार होगा।

★ जलाशयों पर समुदाय की अनुमति के बगैर कोई भी लायसेंस किसी को नहीं दिया जाएगा।''

पारबती - क्या वनभूमि को किसी और काम के उपयोग में लिया जा सकता है ?

शबनम - स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन की दुकान, छोटे जलाशय, बिजली, पानी, सड़क, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक भवन के लिए वन भूमि को बदलने का अधिकार ग्रामसभा के पास होता है। परन्तु यह ढाई एकड़ से अधिक न हो और इस कार्य के लिए 75 से अधिक पेड़ न काटने पड़ें।

जुगनी अब तक चुपचाप सभी बातें सुन रही थी। वह भी एक सवाल पूछ बैठी - जहां आदिवासियों का निवास है, उस पर किसका हक होगा ?

शबनम - आदिवासियों की बसाहट को मालिकाना हक मिलेगा। वनों में सभी तरह की बस्तियों, वन ग्रामों के व्यवस्थापन और

राजस्व गांव में बदलने का प्रावधान होगा।

आज की बैठक में कई ऐसे आदिवासी भी आए थे, जिन्हें उनकी जमीन से जबरन हटा दिया गया था। इनमें हरकू भी शामिल था। उसने हिम्मत कर पूछा - क्या वन विभाग द्वारा

हटाए गए आदिवासी फिर से अपने उसी निवास पर आकर रह सकते हैं ?

शबनम ने हरकू के दर्द को समझा। वह बोली - यदि किसी आदिवासी को 13 दिसम्बर, 2005 के पहले की स्थिति में वन विभाग ने हटाया है और उसको मुआवजा नहीं दिया है। उसे रहने की जगह नहीं मिली है। ऐसे में वह दोबारा अपनी पहले वाली जमीन पर आकर रह सकता है।

यदि किसी राज्य द्वारा विकास परियोजना के लिए जंगल की जमीन ली गई है। वहां 5 साल के भीतर परियोजना शुरू नहीं हुई है। इसके लिए जिन आदिवासियों या जंगलवासियों को बिना मुआवजा हटाया गया है उन्हें उसी जमीन पर अधिकार मिलेगा।

किसी वन में रहने वाले आदिवासी या अन्य परम्परागत जंगलवासियों को तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा, जब तक कि मान्यता और जांच पूरी नहीं हो जाती है।

दयाराम - वकील जी, हमारे अधिकारों के साथ हमारे कर्त्तव्य क्या होंगे ?

शबनम - इसमें आपके अधिकारों के साथ ही कर्त्तव्य भी तय किए गए हैं-

★ वनों तथा जंगली जानवरों, पशुओं, पौधों आदि की रक्षा करनी होगी।

★ वन क्षेत्र के जलाशयों की रक्षा करना होगी।

★ ग्रामसभा में ऐसे फैसले नहीं लिए जाएंगे, जिससे जानवरों, पौधों व वन पशुओं को नुकसान हो।

मंगलू - वन अधिकार के लिए पंचायत स्तर पर और क्या-क्या होगा ?

शबनम - पंचायत स्तर पर ग्रामसभा की पहली बैठक में वन अधिकार समिति का गठन किया जाएगा। इस बैठक में दो तिहाई ग्रामसभा सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है।

जानकी - वन अधिकार समिति के कितने सदस्य होंगे ?

शबनम - इस समिति में ग्रामसभा के 10 से 15 सदस्य होंगे।

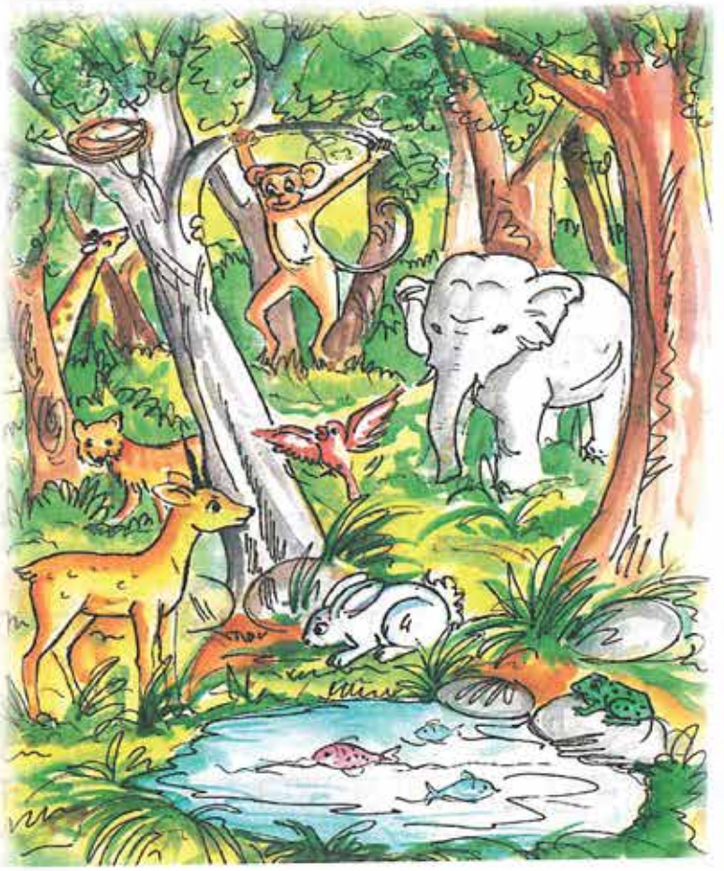

इनमें कम से कम 5 आदिवासी व 5 महिला सदस्य होने जरूरी हैं। इस समिति में एक अध्यक्ष और एक सचिव होंगे। सचिव के पद पर पंचायत सचिव व पंचायत कर्मी को शामिल किए जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के अन्य पंचों, सरपंच व किसी सरकारी कर्मचारी को वनाधिकार समिति में शामिल करना जरूरी नहीं है।

मंगलू - वन अधिकार पाने के लिए क्या करना होगा ?

शबनम - वन निवासी को वन अधिकार पाने के लिए इस समिति में दावा फार्म जमा करना होगा।

जगराम - ग्रामवासी वनभूमि पर अपना दावा कैसे प्रस्तुत करेंगे?

शबनम - ग्रामसभा वन अधिकार समिति को दावा मंगवाने का अधिकार देती है। इसके बाद ग्रामवासी अपना दावा निर्धारित फार्म में ग्राम पंचायत कार्यालय में वन अधिकार समिति को जमा कर सकेंगे। इस आवेदन के साथ अपने कब्जे का प्रमाण लगाना जरूरी है।

दावे की एक नकल वन अधिकार समिति के पास रहती है। दूसरी नकल पर प्राप्ति की सील लगवाकर अपने पास संभालकर रखनी चाहिए।

चम्पा - कब्जे के दावेदारों के प्रस्ताव पारित कैसे किए जाते हैं ?

शबनम - ग्रामसभा कब्जे के दावों की योग्यता तय करके विकासखण्ड स्तर की समिति को भेज देती है। विकासखण्ड समिति ग्रामसभाओं से मिले सभी दावों का अभिलेख तैयार

करेगी तथा अंतिम फैसले के लिए जिला समिति को भेजेगी।

रामदीन - दावों पर अंतिम निर्णय कौन करता है ?

शबनम - सभी तरह के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों पर अंतिम फैसला जिला स्तर की समिति करती है। हर परिवार को दस एकड़ की सीमा के अंदर वन भूमि पर उतना ही अधिकार मिलेगा जितने पर उसका कब्जा है।

यह अधिकार पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से होगा या

दोनों में से जो जीवित होगा, उसके नाम से होगा। अधिकार की जमीन न किसी को बेची जा सकती है, न किसी के नाम पर की जा सकती है। हां, अपने बच्चों के नाम की जा सकती है।

मंगलू - वन अधिकार कानून में ग्रामसभा के कार्य क्या हैं ?

शबनम - ग्रामसभा वन अधिकार की प्रकृति और सीमा तय करने के लिए दावों की सुनवाई करेगी।

लालू - दावों की जांच में किन सबूतों की जरूरत होती है?

शबनम - कोई भी दावा दो सबूतों के साथ ही किया जाएगा। गजेटियर, जनगणना, मानचित्र, वन अभिलेख, पट्टा या लीज, कोई भी सरकारी आदेश, अधिसूचना, सरकारी अभिलेख, मतदाता पहचान-पत्र, राशनकार्ड, न्यायालय के निर्णय, उस समय के राजाओं से मिला कोई अभिलेख, पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली भी सबूत माने जाएंगे। ग्रामसभा अपने रजिस्टर में शासन के नियमानुसार पूरी जानकारी रखेगी। ग्रामसभा वन अधिकार के संबंध में दावों पर सुनवाई का मौका देगी। उसके बाद ही प्रस्ताव पारित करेगी व उसे विकासखण्ड समिति को भेज देगी।

नत्थू - ग्रामसभा के निर्णय से अगर कोई नाखुश हो तो क्या करना चाहिए ?

शबनम - कोई वनवासी ग्रामसभा के निर्णय से नाखुश हो तो विकासखण्ड समिति को आवेदन दे सकता है। यह आवेदन निर्णय के 60 दिन के अंदर कर देना चाहिए। विकासखण्ड समिति के जवाब से नाखुश होने पर 60 दिन के अंदर जिला स्तर की समिति को आवेदन कर सकता है। जिला समिति का निर्णय अंतिम और सबको मान्य होगा।

इस तरह शबनम जी ने वन अधिकार की जानकारी लोगों को दी। बैठक खत्म होने के बाद सरपंच ने शबनम बानो को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। सभी वनवासियों ने भी उनको दुआएं दीं।

शबनम बानो ने आज भीलखेड़ी के आदिवासियों में एक नया भरोसा जगा दिया है। आज सभी बहुत खुश हैं। सभी आपस में बात कर रहे थे कि हमारे जंगलों पर अब हमारा अधिकार होगा। सभी की आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी।

✠✠

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति

7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in